

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 11/12/07

विषय- वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु विभागीय पत्रांक-1388, दिनांक-24.07.04 द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित किया है । जिलों के नगर क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय वार्ड भी पूर्णतः या आंशिक रूप से वर्तमान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । प्रभावित ऐसे वार्डों में बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है । जिसके आलोक में पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समानान्तर वार्डों में निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का गठन किया जाता है :-

वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

- | | | |
|--|---|------------|
| (I) संबंधित वार्ड आयुक्त- | - | अध्यक्ष |
| (II) विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य)- | - | सदस्य |
| (III) सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य | - | सदस्य |
| (IV) स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (V) संबंधित वार्ड के तहसीलदार | - | सदस्य सचिव |

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य), स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख-रेख में वार्ड में वितरण किया जाएगा ।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री के संबंध में पूरी सूचना वार्ड के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
06/12/07

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।
5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श वार्ड स्तर पर वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।
6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।
7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रथम सचिव

ज्ञापांक-.....3883...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-.....11/12/07.....

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.....3883...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-.....11/12/07.....

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी में प्रकाशित/प्रसारित कराने की व्यवस्था अविलम्ब की जाए।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.....3883...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-.....11/12/07.....

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.....3883...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-.....11/12/07.....

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय (मुख्यमंत्री) मंत्री, के आप्त सचिव को माननीय विभागीय (मुख्यमंत्री) मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

G.P.P.

20/12/07

27